Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर) 341508

लोकेन्द्र सिंह वगैरह बनाम सरपंच ग्राम पचायत बाजोली वगैरह

किस्म मुकदमा-अपील/प्रा.पत्र/वाद/विविध/निगरानी संख्या 38/2022 15/2023 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2022	यह निगरानी वकील निगरानीकार द्वारा अधीन धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बाजोली पचांयत समिति मकराना द्वारा जारी नोटिस आदेश क्रमांक / ग्रापबा / ग्राप / 2022 / 93 दिनाक 22.03.2022 के विरूद्ध मय स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। वकील निगरानीकार को निगरानी के एडमिशन तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानी में सारभूत कानूनी बिन्दू निहित होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत बाजोली का रिकॉर्ड तलब हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत बाजोली पचांयत समिति मकराना द्वारा जारी नोटिस आदेश क्रमांक / ग्रापबा / ग्राप / 2022 / 93 दिनाक 22.03.2022 में अंकित विवादग्रस्त रास्ते बाबत निगरानीकर्ता के मकान एंव दीवार को नहीं तोड़ा जावें एंव मौके की यथास्थिति बनायें रखे। स्थगन के नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20.10.2022 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)	
20/10/22	पत्रावली आज पेश हुई है पक्षकारान् / वकुलाय उपस्थित / श्रीमान् पीठासीन अधिकारी आज अवकाश / राजकीय दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / .... वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित होने से पत्रावली दिनांक 28/10/22 को पेश हो।	
28/10/22	पत्रावली पेश हुई। ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ हो पुन: तलब किया जावे व पत्रावली दिनांक 15/11/22 को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:56 IST
Reason: SelfAttested

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/2/24	पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना के प्रस्ताव कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली वास्ते दिनांक 26/3/24 को पेश हो। (ह.)	
26/3/24	पत्रावली पेश हुई। बहस हेतु समय चाहते हैं दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/4/24 को पेश हो। (ह.) जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	
30/4/24	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार व वकील निगरानीकार अनुपस्थित। बार. बार आवाजें लगाई गई। [illegible] है अनुपस्थित। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली के मय दुरुस्त होकर दाखिल दफ्तर हो। (ह.) जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	